न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 390/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. चेनसिंह पुत्र श्री मेगसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र श्री मेगसिंह 3. भोमसिंह पुत्र श्री मेगसिंह 4. लूणसिंह पुत्र श्री मेगसिंह 5. शिम्भूसिंह पुत्र श्री मेगसिंह सभी जातियान राजपूत, निवासीगण–ग्राम गिंगाला, तहसील ओसियां ,जिला जोधपुर		1 पृथ्वीसिंह पुत्र जयसिंह 2 शेरसिंह पुत्र जयसिंह जातियान राजपूत,निवासीगण–ग्राम गिंगाला, तहसील ओसियां ,जिला जोधपुर, राज। 3 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2022 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2021 अनवान पृथ्वीसिंह वगैरा बनाम चेनसिंह वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री बुद्वाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
3– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 16 जनवरी, 2023

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1, 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,128 एल.आर.एक्ट का इस आशय का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खेत खसरा न0 7/23 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा न0 70/1 रकबा 02.9947 हैक्टेयर वाके ग्राम गिंगाला में आयी हुयी है जिसके पश्चिम दिशा में अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0 न0 70 रकबा 3.3103 हैक्टेयर व ख0 सं0 7 रकबा 0.6457 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो सीमाओ व कणे माठ को खुर्द बुर्द करना चाहते है, उक्त भूमि दिनांक 26.06.2021 को सीमांकन किया तथा मौके पर माप करके हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह बताये, तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पत्थर रोपने लगे, तो अपीलार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को काफी समझाईश भी कि लेकिन नही माने तथा लड़ाई झगड़ा करने लगे है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तब अपीलान्टस के द्वारा अपनी उपस्थिती दी तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके एवं विधि विरूद्व अपने आदेश दिनांक 06.07.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिन्हित कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया। आदेश दिनांक 06.07.2022 से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी

सम्भागीय आयुक्त

करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजो के द्वारा दिनांक 04.02.2008 को आपसी सहमति से एक बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्व अभियान 2008 के तहत कैम्प हतुण्डी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा आपसी सहमति से बंटवाडा आदेश होने के पश्चात पक्षकारान के खेतों के मध्य भौतिक कब्जा काश्त अनुसार पत्थरगढी करके तारबन्दी की गयी और उसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है, उक्त तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्टस के द्वारा वर्ष 2019 में पुनः सीमाज्ञान की बात को लेकर अपीलार्थीगण को खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने लगे तब अपीलार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार ओसिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आदेश दिनांक 02.05.2019 के तहत दिनांक 31.05.2019 को पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार सीमांकन कर नजरी नक्शा व मौका फर्द बनवायी गयी लेकिन रेस्पोडेन्टस ने सीमांकन करवाने हेंतु अपनी असहमति जताई। अधिनस्थ न्यायालय ने भौतिक कब्जा काश्त अनुसार मौके की रिपोर्ट मंगवाये बगैर मात्र रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द को ही आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत करके दिनांक 26.06.2021 को सीमांकन मौका फर्द रिपोर्ट मनमाने तरीके से बनवाकर अपीलार्थी संख्या 01 चैनसिंह के फर्जी हस्ताक्षर करके अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों का निस्तारण किये बगैर मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया। बिना सीमाज्ञान के पत्थरगढी नही की जा सकती है। मौके पर सीमाज्ञान कर दिया गया है जिसके अनुसार कोई विवाद नही बताया गया है इस कारण भी पत्थरगढी किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2022 को अपास्त करने का आदेश फरमावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खेत खसरा न0 7/23 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा न0 70/1 रकबा 2.9947 हैक्टेयर वाके ग्राम गिंगाला में आयी हुयी है जिसके पश्चिम दिशा में अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0 न0 70 रकबा 3.3103 हैक्टेयर व ख0 सं0 7 रकबा 0.6457 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो सीमाओ व कणे माठ को खुर्द बुर्द करना चाहते है, उक्त भूमि का नियमानुसार दिनांक 26.06.2021 को सीमांकन करवाया तथा मौके पर माप करके हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह बताये, तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 भूमि पर पत्थर रोपने लगे, तो अपीलार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को काफी समझाईश भी कि लेकिन वे नही माने तथा लड़ाई झगड़ा करने लगे है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तब अपीलान्ट की ओर से आपत्तियां पेश की जो रेकर्ड पर ली गई। तत्पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के किये गये

विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 7, 70 का विभाजन दिनांक 4.2.2008 को करवाया गया तथा उक्त विभाजन के अनुसार तरमीम करवाई गई थी। उपरोक्त बंटवाडे/विभाजन अनुसार की गई तरमीम के अनुसार ही पक्षकारान काबिज काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टस अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के अनुसार मौके पर खेतों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और उसके अनुसार ही प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक आदेश दिनांक 06.07.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि प्रार्थीगण के मध्य हस्तगत भूमि का बंटवाडा दिनांक 04.02.2008 पत्रावली पर है व तदनुसार ही मौके पर कब्जा होना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 को निरस्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के मध्य वर्ष 2008 में हुए बंटवाड़े के आधार पर की गई तरमीम के आधार पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति व पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे, तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर